भारत निर्वाचन आयोग

नि र्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली

ईसीआई/प्रेस नोट/16/2017 **दिनांक: 13.02.2017**

प्रेस नोट

विषय: उत्तर प्रदेश की विधान सभा हेतु साधारण नि र्वाचन- लोक प्रतिनि धित्व अधिनि यम, 51 की धारा 126क के प्रावधानों और दिनांक 27.01.17 की आयोग की अधिसूचना का उल्लंघन।

आयोग ने दिनांक 27.01.2017 को यह अधिसूचित किया था कि वर्तमान नि र्वाचनों के दौरान दिनांक 04.02.2017 को पूर्वाहन 7:00 बजे से और 08.03.2017 को अपराहन 5:00 बजे तक के बीच की नि र्दिष्ट समयावधि, वह समयावधि है, जिसके दौरान परिणाम का कोई भी एक्जिट पोल और प्रिंट या इलेक्ट्रानि क मीडिया के माध्यम से उसके प्रकाशन या प्रचार-प्रसार व किसी भी अन्य तरीके से प्रचार करना नि षेध होगा।

अब, आयोग के ध्यान में यह लाया गया है कि दैनि क जागरण समाचार पत्र ने अपनी वेबसाइट के द्वारा उत्तर प्रदेश में नि र्वाचनों के प्रथम चरण पर अंतरराष्ट्रीय संसाधन विकास (I) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा आयोजित किए गए एक्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित किए हैं।

अत: अंतरराष्ट्रीय संसाधन विकास (I) प्राइवेट लिमिटेड और दैनिक जागरण द्वारा एक्जिट पोल करने और परिणामों के प्रचार-प्रसार का उल्लिखित उल्लंघन, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन अपराध के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, की धारा 126क और 126ख के अधीन अपराध है। यह अपराध आयोग द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की भी अवज्ञा है।

आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों का सुचारू रूप से आयोजन सुनिश्चित करने के लिए विधि की मर्यादा रखने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के इस घोर उल्लघंन करने वाले अपराधियों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, आयोग ने लखनऊ और प्रथम चरण के मतदान के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक जिले के जिला निर्वाचन अधिकारियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क और 126ख के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत समाचार पत्र के प्रबंध संपादक और/या मुख्य संपादक/संपादक/प्रमुख सम्पादक संहिता आरटीआई और दैनिक जागरण के प्रबंध निदेशक और/या ऐसे अन्य प्राधिकारियों के विरूद्ध तुरंत एफआईआर दर्ज कराने का निदेश दिया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा3 के अंतर्गत, धारा 126क के अधीन किया गया अपराध 2वर्ष के कारावास या जुर्माना से या दोनों से दण्डनीय है। धारा 126ख यह उपबंधित करती है कि यदि यह अपराध कंपनी द्वारा किया गया है तो कम्पनी व्यवसाय को चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभारी और जिममेदार है को अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और वह दण्ड का भागी होगा।

आयोग ने अपने निदेशों को दोहराते हुए स्पष्ट किया है कि वह उपर्युक्त विधिक प्रावधानों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने की स्थिति में कड़ी विधिक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।

धीरेन्द्र ओझा
(निदेशक)